

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *249
11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञों के रिक्त पद

***249 श्री राजिन्दर गुप्ता:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने अपनी भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता रिपोर्ट के उन निष्कर्षों पर ध्यान दिया है जिनके अनुसार ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु संस्वीकृत विशेषज्ञों के 13,232 पदों में से केवल 4,413 पद ही भरे हुए हैं और वर्तमान स्थिति के बारे में सरकार का क्या आकलन है;
- (ख) क्या विशेषज्ञों की रिक्तियों के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करने हेतु कोई जिला-वार अथवा राज्य-वार आकलन किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और
- (ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त कैरियर प्रगति और प्रोत्साहनों के साथ एक समर्पित ग्रामीण विशेषज्ञ संवर्ग स्थापित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 11.08.2026 के राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या *249 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): “जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल”, राज्य का विषय है और इसलिए, मानव संसाधन के संवर्धन और प्रशासन सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।

हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया 2023-2024 के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में पदस्थ विशेषज्ञों की संख्या 4413 से बढ़कर 5223 हो गई है।

देशभर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता का विवरण हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन) में प्रकाशित किया जाता है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

<https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf>

एनएचएम के तहत, देश भर के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे दुर्गम क्षेत्र भत्ता, राज्यों को “यू कोट बी पे” सहित परस्पर सहमति से वेतन देने की छूट, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन तथा व्यापक आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात परिचर्या (सीईएमओएनसी) और जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएस) में प्रशिक्षण के माध्यम से चिकित्सकों का बहु-कौशल विकास।

कई राज्य विशेषज्ञ सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए सीएचसी में विशेषज्ञों की तैनाती रोटेशन के आधार पर करते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तैनात विशेषज्ञ सेवाओं के साथ सीएचसी में टेली परामर्श (ई-संजीवनी) के माध्यम से विशेषज्ञ सेवाएँ सुनिश्चित की जाती हैं। विशेषज्ञ सेवाएँ आयुष्मान आरोग्य शिविरों में भी प्रदान की जाती हैं, जो सीएचसी में प्रति माह आयोजित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के माध्यम से देश में

चिकित्सकों/चिकित्सा पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे जिला/रेफरल अस्पताल को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या में वृद्धि करके मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत करना, सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन और देश भर में 22 नए एम्स की स्थापना।

देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 में 387 से बढ़कर वर्तमान में 846 हो गई है, जोकि 118.60% वृद्धि है, एमबीबीएस सीटों की संख्या वर्ष 2014 में 51,348 से बढ़कर वर्तमान में 1,39,864 हो गई हैं जोकि 172.38% की वृद्धि हैं और पीजी सीटों की संख्या वर्ष 2014 में 31,185 से बढ़कर वर्तमान में 86,360 हो गई है जोकि 176.92% की वृद्धि है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए विशेषज्ञ संवर्ग की स्थापना और इसका संचालन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है।
